बिना अनुमति के निर्माण पर निगम ने की कारवाई, अवैध कब्जा धारियों को भी हटाया

भिलाईनगर/ जोन 02 खुर्सीपार क्षेत्र में निगम के राजस्व विभाग की टीम ने कैलाश नगर में बिना अनुमति के निर्माण करने और वैशाली क्षेत्र के ओम शांति ओम चौक के पास सड़क को घेरकर अवैध कब्जा कर व्यवसाय करने वालो को बेदखल किया। निगम क्षेत्र में निगम की खाली जमीन पर अतिक्रमण, बिना अनुमति के निर्माण तथा अवैध कब्जा पर कार्रवाई करने निगम आयुक्त श्री प्रकाश सर्वे के निर्देश पर विशेष दस्ते का गठन किया गया है, विशेष दस्ता ऐसे किसी प्रकरण की शिकायत या सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही कर रहे है। जोन 02 के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम ने बताया कि वैशाली नगर जोन आयुक्त पूजा पिल्ले के निर्देश पर तथा अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर सड़क बाधा कर अवैध रूप से व्यवसाय करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि कैलाश नगर में श्रीराम हाइटस के सामने सिद्धार्थ मिश्रा के द्वारा बिना कोई अनुमति लिए दो दुकान का निर्माण किया गया था, मौके पर पहुंची निगम की टीम को किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं दिखाए जाने पर दुकान को जेसीबी के माध्यम से तोड़फोड़ किया गया इसी स्थल के समीप में चल रहे निर्माण कार्य की अनुमति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने तीन दिन का समय दिया गया है , इसके अलावा ओम शांति ओम चौक के पास सड़क किनारे सामान फैलाकर व्यवसाय करने वालों को भी बेदखल किया गया। उल्लेखनीय है कि वृन्दानगर के नागरिको ने शिकायत किया था कि चौक के पास दो किराना व्यावसायी और 2 मछली व्यवसायी के कारण चौक के आस पास आवागमन में परेशानी होती है , शिकायत के आधार पर निगम की टीम मौके पर पहुंची और अवैध कब्जा कर व्यावसाय करने वाले को वहां से बेदखल किया। कार्यवाही के दौरान जोन 02 राजस्व विभाग के मदन तिवारी , चैतु, कन्हैया, खेमलाल, मानसिंह, बिसाहू सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।